"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–91/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् मुंगेली, जिला–मुंगेली के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	ठक्करबापा वार्ड
		17	तिलक वार्ड
		13	अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	20	महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	निरंक	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	सुभाष वार्ड
		07	राजेन्द्र वार्ड
		16	कबीर वार्ड
		10	विवेकानंद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	18	हीरा लाल वार्ड
		06	परमहंस वार्ड
7.	महिला वर्ग	08	शिवाजी वार्ड
		14	काली माई वार्ड
		21	विनोबा नगर वार्ड
		02	सरदार पटेल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–91/2014/18 (1) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–91/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-91/2014/18 (1) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Mungeli, distt. Mungeli** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	12	Takkar Bapa Ward
		17	Tilak Ward
		13	Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	20	Maharana Ward
3.	Scheduled Tribes	Nil	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nil	Nil
5.	Other Backward Class	03	Subhash Ward
		07	Rajendra Ward
		16	Kabir Ward
		10	Vivekanand Ward
6.	Other Backward Class (Female)	18	Heera Lal Ward
		06	Paramhans Ward
7.	Female	08	Shivaji Ward
		14	Kalimai Ward
		21	Vinoba Nagar Ward
		02	Sardar Patel Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र एफ–1–91/2014/18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत् लोरमी, जिला–मुंगेली के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	गायत्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	शिव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	09	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	विवेकानंद वार्ड
		07	जय दुर्गा वार्ड
		14	गुरू घासीदास वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	महावीर वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	महामाया वार्ड
		04	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		02	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–91/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–91/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-91/2014/18 (2).... the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Lormi, distt. Mungeli** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	15	Gaytri Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	01	Shiv ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	09	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	05	Vivekanand Ward
		07	Jai Durga Ward
		14	Guru Ghansidas Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Mahavir Ward
7.	Female	03	Mahamaya Ward
		04	Lal Bahadur Shastri Ward
		02	Pandit Jawahar Lal Nehru ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–91/2014/18 (3).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पथरिया, जिला–मुंगेली के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	गुरू घासीदास वार्ड
		15	करमामाता वार्ड
		13	गुरू रवीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	01	यदुनंदन वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	हाजी शुभान खान वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	10	विवेकानंद वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	जवाहर वार्ड
		02	बूढ़ादेव वार्ड
		07	गुरू नानक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	06	रामसागर वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	सुभाष वार्ड
		11	शिवाजी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–91/2014/18 (3) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–91/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-91/2014/18 (3).... the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Patharia, distt. Mungeli** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	14	Guru Ghansidas Ward
		15	Karmamata Ward
		13	Guru Ravidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	01	Yadunandan Ward
3.	Scheduled Tribes	04	Haji Shubhan Khan Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	10	Vivekanand Ward
5.	Other Backward Class	09	Jawahar Ward
		02	Budhadev Ward
		07	Guru Nanak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	06	Ramsagar Ward
7.	Female	03	Subhash Ward
		11	Shivaji Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–91 / 2014 / 18 (4) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सरगॉव, जिला–मुंगेली के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	जय स्तंभ वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	रानी अवंती बाई वार्ड
		13	विवेकानंद वार्ड
		14	अटल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	बरमदेव वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	रामसप्ताह वार्ड
		07	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		11	बजरंग वार्ड
		12	सुभाष वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–91 / 2014 / 18 (4) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–91 / 2014 / 18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-91/2014/18(4) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Sargaon, distt. Mungeli** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduied Caste	08	Jai Stambh Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	15	Aajaad Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nil	Nil
5.	Other Backward Class	01	Rani Awanti Bai Ward
		13	Vivekananad Ward
		14	Atal Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Baramdev Ward
7.	Female	06	Ramsaptah Ward
		07	Pandit Dindayal Upadhyay Ward
		11	Bajrang Ward
		12	Subhash Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.